कलावती बनाम राजस्थान सरकार आदि
2024 / 95
निर्णय दिनांक 20.04.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार— I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. 95 / 2024 दर्ज दिनांक : 03.09.2024

1. कलावती पत्नी श्री रेवन्त सिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू (राज.)

वादीनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

प्रतिवादी

2. चन्दा कंवर पुत्री श्री रामसिंह जाति ददोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरातान तहसील व जिला चूरू
3. जुगलसिंह पुत्र श्री लिछमणसिंह जाति दरोगाा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू(राज.)
4. जयपालसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति दरोगा निवासी गग्रम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
5. बाला कंवर पत्नी श्री लिछमणसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
6. पतासी पत्नी श्री सुरजनसिंह जाति दरोगाा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
7. मंजू कंवर पुत्री श्री रामसिंह जाति दरोगा निवाी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
8. मधु कंवर पुत्री श्री लिछमण सिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
9. मोहनी कंवर पुत्री श्री रामसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
10. रूकमणी पुत्री श्री सुरजनसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
11. रेवन्ती पत्नी श्री रामसिंह जाति दरोगा निवाी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
12. राजूसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरातन तहसील व जिला चूरू राज.
13. सुमन कंवर पुत्री श्री रामसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरातान तहसील व जिला चूरू राज.
14. सुमेरा कंवर पुत्री श्री लिछमण सिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
15. हनुमानसिंह पुत्र श्री लिछमणसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.

गौण प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:47 IST
Reason: SelfAttested

कलावती बनाम राजस्थान सरकार आदि
2024 / 95
निर्णय दिनांक 20.04.2026

श्री सुरेन्द्र बुडानियां वादी
दावा अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम की धारा 88

: निर्णय :

वदिनी की ओर से यह वाद निम्न प्रकार पेश किया है कि

यह कि वादगत भूमि खेत खसरा नम्बर 197 तादादी 4.0595 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443 / 201 तादादी 0.5059 हैक्टेयर, 445 / 310 तादादी 4.7930 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 9.3584 हैक्टेयर रोही मौजा ढाढरिया बणीरोतान पटवार हल्का ढाढरिया बणीरोतान भू. अ.नि. क्षेत्र नाकरासर तहसील व जिला चूरू में स्थित है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 108 पुराना खाता संख्या 108 है जिसमें वादिनी एवं गौण प्रतिवादिनीगण संख्या 02 ता 15 सह–खातेदार है, यही वादगत कृषि भूमि है। पति के स्वर्गवास होने पर जायज वारिसान के इन्तकाल दर्ज किये जाने के समय नाम रेशम कंवर दर्ज कर दिया गया जबकि वादिनी का असली नाम कलावती है। आधार कार्ड राशन कार्ड आदि में नाम कलावती पत्नी रेंवतसिंह दर्ज है । वादिनी की उक्त भूमि के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने से के. सी.सी. फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधी आदि सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती। प्रतिवादी संख्या 01 के यहां नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया परन्तु दिनांक 26.06.2024 को स्पष्ट इन्कार कर दिया स्पष्ट इंकारी की तारीख से इस दावा के प्रति, वादिनी को कारण प्राप्त हुआ है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

(क) घोषणा इस आशय की जावे कि कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 197 तादादी 4.0595 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443 / 201 तादादी 0.5059 हैक्टेयर, 445 / 310 तादादी 4.7930 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 9.3584 हैक्टेयर रोही मौजा ढाढरिया बणीरोतान पटवार हल्का ढाढरिया बणीरोतान भू.अ.नि. क्षेत्र नाकरासर तहसील व जिला चूरू राज. में वादिनी कलावती पत्नी रेवंतसिंह जाति दरोगा निवासी ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू 1 / 5 हिस्सा की खातेदार, काबिज काश्तकार है।

(ख) कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 197 तादादी 4.0595 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443 / 201 तादादी 0.5059 हैक्टेयर, 445 / 310 तादादी 4.7930 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 9. 3584 हैक्टेयर रोही मौजा ढाढरिया बणीरोतान पटवार हल्का ढाढरिया बणीरोतान भू.अ.नि. क्षेत्र नाकरासर तहसील व जिला चूरू राज. के राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित वादिनी का नाम रेशम कंवर पत्नी रेवन्तसिंह 1 / 5 हिस्सा जाति दरोगा निवासी ढाढरिया बणीरोतान खातेदार अंकित किया जावे, इस आशय का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजि. डाक सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण पर विधिवत तामील के बावजूद कोई उपस्थित नहीं आया इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा पत्रावली को साक्ष्य में नियत की साक्ष्य में वादिनी ने दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए साक्ष्य शपथ–पत्र [illegible] तथा अधिवक्ता वादी ने बहस हेतु निवेदन किया जिस पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी [illegible]

वादी अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र [illegible] किया कि वादिनी कलावती पत्नी स्व. रेवंत सिंह वास्तविक [illegible] है, किन्तु राजस्व अभिलेखों में त्रुटिवश उसका नाम "रेशम कंवर" दर्ज हो गया है, [illegible]कि तथ्यात्मक रूप से गलत है। अधिवक्ता ने कहा कि वादिनी के आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में उसका सही नाम कलावती अंकित है जिससे उसकी पहचान स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। अधिवक्ता ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:47 IST
Reason: SelfAttested

यह भी तर्क दिया कि नाम की इस त्रुटि के कारण वादिनी को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिससे उसे आर्थिक हानि हो रही है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वादिनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 (तहसीलदार, चूरू) के समक्ष नाम शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु दिनांक 26.06.2024 को उसे अस्वीकार कर दिया गया, जिससे वादिनी को वाद प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न हुआ। अधिवक्ता ने यह भी इंगित किया कि प्रतिवादीगण को समुचित नोटिस दिए जाने के बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादिनी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र एवं अभिलेखीय साक्ष्य अप्रतिवादित हैं, जिनसे वाद सिद्ध होता है। अतः वादिनी के पक्ष में डिक्री पारित करते हुए उसे वादगत भूमि में 1 / 5 हिस्से की खातेदारी घोषित की जाए तथा राजस्व रिकॉर्ड में नाम रेशम कंवर के स्थान पर "कलावती" दर्ज कर दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाए। बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबंदी रिकार्ड में वादिनी का नमा रेशम कंवर पत्नी रेंवतसिंह जबकि आधार कार्ड राशनकार्ड में वादिनी का नाम कलावती पत्नी रेवंत सिंह है

प्रस्तुत वाद में वादिनी द्वारा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत नाम घोषणा हेतु प्रार्थना की गई है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत कथनों, शपथ–पत्र एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया गया तथा वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभिलेख से स्पष्ट है कि वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में वादिनी का नाम रेशम कंवर पत्नी रेवंत सिं अंकित है, जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में उसका वास्तविक नाम कलावती पत्नी रेवंत सिंह" अंकित है। यह भी परिलक्षित होता है कि नाम में यह त्रुटि वारिसान इन्तकाल के समय हुई है। प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस दिए जाने के बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अप्रतिवादित हैं एवं विश्वास योग्य हैं। अतः उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादिनी का वास्तविक नाम कलावती पत्नी रेवंत सिंह है तथा राजस्व अभिलेखों में रेशम कंवर अंकित होना एक त्रुटि है तथा वादिनी के राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः नाम को दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।

निर्णय

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 197 तादादी 4.0595 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443 / 201 तादादी 0.5059 हैक्टेयर, 445 / 310 तादादी 4.7930 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 9.3584 हैक्टेयर रोही मौजा ढाढरिया बणीरोतान पटवार हल्का ढाढरिया बणीरोतान भू.अ.नि. क्षेत्र नाकरासर तहसील व जिला चूरू राज. में वादिनी का नाम रेशमकंवर पत्नी रेवंत सिंह के स्थान पर कलावती पत्नी रेवंतसिंह घोषित किया जाता है। वादिनी की ओर से किसी तथ्य को छुपाया गया है तो उसके लिए वादिनी स्वयं जिम्मेवार होगी। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 20 माह अप्रेल सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. 95 / 2024 दर्ज दिनांक : 03.09.2024

कलावती पत्नी श्री रेवन्त सिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू (राज.)

वादीनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

प्रतिवादी

2. चन्दा कंवर पुत्री श्री रामसिंह जाति ददोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरातान तहसील व जिला चूरू
3. जुगलसिंह पुत्र श्री लिछमणसिंह जाति दरोगाा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू(राज.)
4. जयपालसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति दरोगा निवासी गम्रम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
5. बाला कंवर पत्नी श्री लिछमणसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
6. पतासी पत्नी श्री सुरजनसिंह जाति दरोगाा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
7. मंजू कंवर पुत्री श्री रामसिंह जाति दरोगा निवाी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
8. मधु कंवर पुत्री श्री लिछमण सिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
9. मोहनी कंवर पुत्री श्री रामसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
10. रूकमणी पुत्री श्री सुरजनसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
11. रेवन्ती पत्नी श्री रामसिंह जाति दरोगा निवाी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
12. राजूसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरातन तहसील व जिला चूरू राज.
13. सुमन कंवर पुत्री श्री रामसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरातान तहसील व जिला चूरू राज.
14. सुमेरा कंवर पुत्री श्री लिछमण सिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.
15. हनुमानसिंह पुत्र श्री लिछमणसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढरिया बणीरोतान तहसील व जिला चूरू राज.

गौण प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:47 IST
Reason: SelfAttested

कलावती बनाम राजस्थान सरकार आदि
2024/95
निर्णय दिनांक 20.04.2026

उपस्थित अधिवक्ता
श्री सुरेन्द्र बुडानियां वादी

दावा अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88

–:पर्चा डिक्री:–

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा वादिनी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 197 तादादी 4.0595 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443/201 तादादी 0.5059 हैक्टेयर, 445/310 तादादी 4.7930 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 9.3584 हैक्टेयर रोही मौजा ढाढरिया बणीरोतान पटवार हल्का ढाढरिया बणीरोतान भू.अ.नि. क्षेत्र नाकरासर तहसील व जिला चूरू राज. में वादिनी का नाम रेशमकंवर पत्नी रेवंत सिंह के स्थान पर कलावती पत्नी रेवंतसिंह घोषित किया जाता है। वादिनी की ओर से किसी तथ्य को छुपाया गया है तो उसके लिए वादिनी स्वयं जिम्मेवार होगी। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

यह डिक्री आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:47 IST
Reason: SelfAttested